आय–व्ययक 2009–10 की मुख्य विशेषताएँ

(अ)– बजट प्राविधान व राजकोषीय संकेतक :–

- बजट में कोई नया 'कर' प्रस्तावित नहीं किया गया है।
- आय–व्ययक में कुल प्राप्तियाँ रु0 13909.16 करोड़ अनुमानित है।
- कुल व्यय रु0 14737.38 करोड़ अनुमानित है।
- कुल राजस्व प्राप्तियाँ रू0 10947.67 करोड़ अनुमानित है।
- कुल राजस्व व्यय रु0 11161.11 करोड़ अनुमानित है।
- कुल राजस्व घाटा रु0 213.44 करोड़ व राजकोषीय घाटा रु0 2070.99 करोड़ अनुमानित है।

❖ वर्ष 2007–08 में महिलाओं के लिए जेण्डर बजटिंग आरम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत 18 विभागों की योजनाओं के लिए रू0 333 करोड़ की व्यवस्था थी, जिसे इस वर्ष 24 विभागों में विस्तारित करते हुये रू0 1205 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

❖ समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2009–10 में अनुमानित घाटा रु0 828.22 करोड़ है।

❖ वर्ष 2009–10 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 800 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

❖ प्रारम्भिक शेष को लेते हुए वर्ष 2009–10 का अन्तिम शेष रु0 627.37 करोड़ ऋणात्मक अनुमानित है।

(ब)–कर सुधार तथा कर दरों का युक्तिकरण (रेशनलाइजेशन) :–

❖ आम व्यक्ति के दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री– आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन से वाणिज्य कर समाप्त कर इसे जनहित में पूर्णतः करमुक्त किया जाएगा।

❖ मूल्यवर्द्धित कर के सरलीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत कम्प्यूट्रीकरण, ई–पेमेन्ट की सुविधा का विस्तारीकरण, ई–फाइलिंग की सुविधा प्रारम्भ करना, घोषणा पत्रों को डाउनलोड करने की सुविधा आदि दिया जाना प्रस्तावित है।

❖ शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क समाप्त किया जायेगा।

❖ महिला शक्तिकरण की दिशा में सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में महिलाओं को उनके द्वारा सम्पत्ति क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में छूट हेतु सम्पत्ति के मूल्य की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जायेगी।

❖ कब्जा रहित इकरारनामों में स्टाम्प शुल्क की दर 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

❖ छविगृहों में मनोरंजन कर की दर 60 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत की गई थी, को रू0 25 तक के टिकट पर 20 प्रतिशत, रू0 26 से 50 तक के टिकट पर 30 प्रतिशत एवं रू0 50 से अधिक के टिकट पर 40 प्रतिशत किया जायेगा ताकि कम मूल्य के टिकटों पर प्रभावी मनोरंजन कर की दर कम हो जाय।

❖ एक सूत्रीय कर देयता वाले एवं केवल कर मुक्त वस्तुओं के व्यापारियों के लिए आडिट की अनिवार्यता समाप्त की जायेगी।

(स)– अन्य योजनाएँ :–

❖ प्रदेश सरकार **''अटल आदर्श ग्राम योजना'' नाम से महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ करेगी।** इस हेतु पहले चरण में 500 ग्रामों के सम्पूर्ण विकास एवं उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से युक्त एवं आच्छादित करने हेतु कार्य योजना बनाई जायेगी।

❖ आर्थिक दृष्टि से समाज के सबसे कमजोर वर्ग के बालक/ बालिकाओं के जीवन में मुस्कान लाने हेतु उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए नई पहल करते हुए **''देवभूमि मुस्कान''** योजना संचालित की जायेगी। इस हेतु पहले चरण में प्रत्येक जनपद मुख्यालय में निजी क्षेत्र के विद्यालयों के साथ सहभागिता करते हुए 'वाउचर स्कीम', का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत चयनित निजी विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

❖ राज्य के लगभग 150 से अधिक इण्टर कालेजों तथा हाई स्कूल के भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/ जीर्णोंद्धार/ विस्तार करने की कार्य योजना बनाई जायेगी।

❖ जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद की जन्म स्थली है और आज भी संजीवनी जैसी जड़ी–बूटियों का उत्तराखण्ड में अपार भण्डार है। इसलिए आयुर्वेद को नई ऊॅचाईयों तक ले जाने के लिए राज्य में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

❖ देश में प्रथम बार उत्तराखण्ड में आयुष ग्रामों की स्थापना की जा रही है।

❖ पं0 दीन दयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा को और प्रभावी बनाने तथा जन–जन तक पहुॅचाने की दृष्टि से 18 और नये वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड को 108 सेवा से जोड़ा जायेगा। उल्लेखनीय है कि इस 108 आपतकालीन सेवा ने एक वर्ष में प्रदेश में लगभग 22500 संस्थागत प्रसव कराये है जिससे 45000 माताओं एवं शिशु के जीवन को बचाया जा सका है। इस प्रकार इस सेवा ने मातृ–शिशु मृत्यु दर कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- ❖ मोक्षदायिनी गंगा जी तथा सहायक नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस कार्य हेतु **''राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण''** गठित किया जायेगा।

- ❖ नागरिकों को गॉव तक सूचना एवं सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर 2804 **''बहुउद्देशीय नागरिक सेवा केन्द्र''** स्थापित किये जायेंगे।

- ❖ मुजफ्फरनगर–रूड़की रेल लाईन, जिसके बनने से देहरादून से दिल्ली के बीच लगभग एक घंटे की यात्रा अवधि कम होगी, के निर्माण हेतु राज्यांश के रूप में रू0 20 करोड़ की व्यवस्था है।

- ❖ पं0 दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल में गुर्दा रोग एवं हृदय रोग इकाई तथा अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय में हृदय रोग इकाई की स्थापना पी0पी0पी0 व्यवस्था से की जायेगी।

- ❖ महिला शक्तिकरण की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए महिला सरकारी सेवकों हेतु 135 दिन के प्रसूति अवकाश को बढ़ा कर 180 दिन किया जायेगा।

- ❖ शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए राज्य के सभी महिला चिकित्सालयों में नवजात शिशु इकाई स्थापित की जायेगी।

- ❖ दुर्गम /असेवित क्षेत्रों में मातृ–शिशु कल्याणार्थ 145 ए0एन0एम0 एवं 145 अंशकालिक दाई के पद सृजित किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 19000 ''आशाएँ'' एवं 2200 ए0एन0एम0 पहले से ही दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

- ❖ राज्य की जनता को पर्याप्त पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने हेतु जल संवर्द्धन योजना चलाई जायेगी, जिसके लिए जलाशयों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की जायेगी ।

- ❖ पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 के अन्तर्गत सुविधाएँ दी जा रही हैं, जिससे युवकों का पलायन रुकेगा तथा आर्थिक समृद्धि आयेगी। लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए ब्याज उपादान योजना को 31 मार्च, 2010 तक विस्तारित किया गया है।

- ❖ दुनिया के सबसे बड़े मेले के रूप में कुम्भ मेला वर्ष 2010 में हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश एवं दुनिया के लगभग 5 करोड़ लोगों के सम्मिलित होने का अनुमान है। इस मेले के आयोजन एवं व्यवस्थाओं के लिए लगभग रु0 500 करोड़ का व्यय अनुमानित है जिसके सापेक्ष अब तक रु0 294 करोड़ स्वीकृत किया जा चुका है एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत रु0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

- ❖ राज्य सरकार द्वारा **''नन्दा देवी कन्या योजना''** प्रारम्भ की जायेगी जिसके अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकने एवं महिलाओं को आर्थिक एवं शैक्षिक सुरक्षा

प्रदान करने हेतु संस्थागत प्रसव के माध्यम से बालिका के जन्म पर रु0 5000 की एफ0डी0 (सावधि जमा) दी जायेगी।

- ❖ प्रदेश के प्रथम मानसिक रोग चिकित्सालय का संचालन शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।
- ❖ प्रदेश सरकार ने अहम् फैसला लेते हुए प्रदेश के समस्त राजकीय एवं राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की है।
- ❖ निराश्रित बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हेतु एक पृथक गृह का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।
- ❖ किसानों के चहुमुखी विकास हेतु समग्र जिला कृषि योजना तैयार की जा रही है, जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन सम्बन्धी समस्त क्रिया–कलाप सम्मिलित होंगे।
- ❖ प्रदेश में अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा सुविधा, शोध तथा ''नेत्र बैंक'' से युक्त नेत्र चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जायेगा।

(द)– प्रशासनिक सुधार :–

- ❖ विकास कार्यक्रमों का धरातल पर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष विशेषज्ञों से सघन मूल्यांकन कराया जायेगा।
- ❖ भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की ऐसी अवस्थापना परियोजनाएँ, जो वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हों परन्तु जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं उनके लिए सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत निजी पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु लोक निजी सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए बायेबलिटी गैप फंडिंग योजना तैयार की गई है। इस हेतु प्रारम्भ में रू0 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

————